मध्यप्रदेश शासन

वल्लभ भवन

मंत्रालय, वन विभाग भोपाल

क्रमांक/एफ 16–4/1991/10–2 भोपाल दिनांक 15/01/2008

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन
भोपाल।

विषय :– संयुक्त वन प्रबंधन समितियों में अध्यक्ष पद के एक तिहाई पदों पर महिलाओं का आरक्षण।

राज्य शासन द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.01.2008 द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन के संकल्प 22 अक्टूबर 2001 की कण्डिका 5.2 में शब्द "अध्यक्ष/उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य होगा।" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष/उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य होगा तथा अध्यक्ष पद के एक तिहायी पद महिलाओं हेतु आरक्षित रहेंगे।" प्रतिस्थापित किया गया है।

2/ उपरोक्त प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए निम्न प्रक्रिया लागू की जाए :–
क्षेत्रीय वनमंण्डल/वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्र में अध्यक्ष पद महिलाओं हेतु आरक्षित वन समितियों का आरक्षण रोस्टर निर्धारण का कार्य निम्नानुसार समिति द्वारा किया जाये :–

1. अध्यक्ष जिला पंचायत – अध्यक्ष
2. अध्यक्ष वन स्थायी समिति, जिला पंचायत – सदस्य
3. जिला पंचायत की समस्त महिला सदस्य – सदस्य
4. जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित एक अधिकारी – सदस्य
5. संबंधित क्षेत्र के वनमण्डलाधिकारी क्षेत्रीय/वनमण्डलाधिकारी वन्यप्राणी/उप संचालक राष्ट्रीय उद्यान – सदस्य सचिव

3/ उक्त समिति की बैठक हेतु कम से कम दो तिहायी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उक्त समिति द्वारा संबंधित क्षेत्रीय वनमण्डल/वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्र की सभी वन समितियों के नाम की पर्ची बनाकर उसमें से निर्धारित संख्या में लाट (भाग्य पर्ची) निकालकर अध्यक्ष पद महिलाओं हेतु आरक्षित वन समितियों का निर्धारण किया जायेगा। इस प्रकार जिन वन समितियों में अध्यक्ष पद महिलाओं हेतु आरक्षित होगा उनमें अगले दो कार्यकाल में अध्यक्ष पद अनारक्षित रहेगा। जो इसके बाद के कार्यकाल में पुनः महिलाओं हेतु आरक्षित हो जायेगा तथा इसी चक्रानुक्रम में आरक्षण का यह क्रम जारी रहेगा।

4/ उपरोक्तानुसार एक बार रोस्टर तय हो जाने के बाद जो नयी वन समितियां गठित होंगी, उनमे प्रथम कार्यकाल में अध्यक्ष पद महिला हेतु आरक्षित रखा जायेगा जो तदुपरान्त आगामी दो कार्यकाल में अनारक्षित रहेगा और इसके बाद के कार्यकाल में पुनः महिलाओं हेतु आरक्षित हो जायेगा तथा इसी चक्रानुक्रम में आरक्षण का यह क्रम जारी रहेगा।

15/1/08

(पुष्कर सिह)

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

क्रमांक/एफ 16–4/1991/10–2

भोपाल दिनांक 15/01/2008

प्रतिलिपि :–

समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

15/1/08

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग